

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2011(Amendment of the Article 72).

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अध्यमालाद परिषद): महोदय, मैं प्रताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरुषस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The motion was adopted.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरुषस्थापित करता हूँ।

-

-